

मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, जमशेदपुर।

(झारखण्ड बिल्डिंग बाई लॉज - 2016 के तहत भवन प्लान की स्वीकृति)


परमिट संख्या- 19 / 2017


दिनांक: 25.03.17


महाशय,

प्लान संख्या-3352,3353 खाता संख्या-808 मौजा-मानगो थाना- 1642, वार्ड नं- 9 में निर्माण हेतु आपके द्वारा दिए गये आवेदन के आलोक में (Block A+B) Basement (Parking)+Ground Floor(Commercial)+3rd Floor(Commercial), (Total no of shops - 72 Nos, No. of Kiosk - 14 Nos) ht-13.34 m, के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है:-

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंतर भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, जब तक इसकी विधिवत् स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
3. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड भवन निर्माण विभाग/भारतीय मानक/भारतीय भवन संहिता की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकण एवं इसकी सुख्या का दायित्व संबंधित अनुज्ञापिकाारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगी।
4. भूखण्ड के सामने पधारदिकारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था पेंवनेन्ट का निर्माण तथा फेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनिषद के अनुसार करना होगा।
5. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना मानगो अ-से-स कार्यालय को देनी होगी तथा प्लॉट/भूमि सल लिटल सेमल, उत सेमल प्रत्येक floor पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।
6. निर्माणकर्ता को अपार्टमेंट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. निर्माणकर्ता को निजी ट्रान्स्फार्मर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण प्रति पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
8. प्रत्येक तल पर समुचित क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा।
9. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।
10. भवन निर्माण में 50 प्रतिशत फ्लोई एश ब्रिक्स का इस्तेमाल करना होगा।
11. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अ-से-स को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किए बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
12. झारखण्ड बिल्डिंग बाई लॉज - 2016 में वर्णित अन्य सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान मानगो अ-से-स द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
14. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई विवादित भूमि/सपकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
15. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भूमि मासिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल, एवं कुल स्वीकृत फ्लोई एश का प्रतिशत देना होगा। साथ ही खाता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
16. भवन में समुचित क्षमता का उचित चालक लगाना अनिवार्य है।
17. भवन प्लान की स्वीकृत प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञापिकाारी अभियंता को उपरोक्त शर्तों के आरंभ का एक शपथ पत्र देना होगा।
18. विभागीय निर्देश के आलोक में वाणिज्य कर विभाग से TAN No प्राप्त करना आवश्यक है। अतः तीन माह के अंदर TAN No इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा अन्यथा परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।
19. यह परमिट निर्माण हेतु निर्यत तिथि से मात्र तीन वर्षों के लिए ही विधिमान्य होगी।


कनिष्ठ अभियंता
मानगो अ-से-स


25.03.17
सहायक अभियंता
मानगो अ-से-स


25.03.17
विशेष पदाधिकारी
मानगो अ-से-स

विशेष पदाधिकारी
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति

मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति जमशेदपुर

प्लॉट सं०. 3352, 3353.....

खाता सं०..... 908.....

मौजा..... मानगो.....

वार्ड सं०..... 09.....

पर

श्री/श्रीमति राष्ट्रियामुद्दारा व अन्य

POH - नेशनल बिल्डर्स प्रो०-शर्मा अरुण

को Basement (P) + G.P. (com) + 3rd floor (com) ht-13.3


तल के लिए व्यवसायिक

भवन निर्माण हेतु भवन प्लान की प्रीप्रति,


अ.क्षे.स. के बिल्डिंग पर्समिट सं०..... 19.....


दिनांक..... 21.03.17..... के बर्षित कार्ड के

आधार पर दी जाती है।



23/03/2017
JE


25/03/17
AS


25-3
अ.क्षे.स.
मानगो